Seventeenth Loksabha

span>

Papers laid on the table of the House by Ministers/Members

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

आइटम नम्बर-2, श्री कृष्ण पाल ।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (संयोजकता और अंतर-राज्यी य पारेषण प्रणाली तक सामान्या नेटवर्क पहुंच) विनियम, 2022, जो 19 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/261/2021/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्केरण)।

[Placed in Library, See No. LT 7613/17/22]

(2) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7614/17/22]

(5) (एक) जम्मूक और कश्मी र संघ राज्य]क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यकक्षेत्र, जम्मू के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दीघ तथा अंग्रेजी संस्क रण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जम्मो और कश्मीवर संघ राज्यकक्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यीक्षेत्र, जम्मू के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी् तथा अंग्रेजी संस्कूरण)।

(6) (एक) फोरम ऑफ रेगुलेटर्स, नई दिल्लीद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दीक तथा अंग्रेजी संस्कऑरण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फोरम ऑफ रेगुलेटर्स, नई दिल्लीष के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दीी तथा अंग्रेजी संस्ककरण)।

[Placed in Library, See No. LT 7615/17/22]

(7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नकलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्क रण):-

(क) (एक) आरईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आरईसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्प्णियां।

[Placed in Library, See No. LT 7616/17/22]

(ख) (एक) डीएनएच एण्डL डीडी पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती डीएनएच पावर डिस्ट्रिब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड), सिल्वासा के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डीएनएच एण्ड डीडी पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती डीएनएच पावर डिस्ट्रिब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड), सिल्वासा का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्प णियां।

[Placed in Library, See No. LT 7617/17/22]

(ग) (एक) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पलणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7618/17/22]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा): महोदय, मैं निम्नीलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्री य सूक्ष्म्, लघु और मध्य्म उद्यम संस्थांन, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दीर तथा अंग्रेजी संस्कसरण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) राष्ट्री य सूक्ष्मर, लघु और मध्यतम उद्यम संस्थांन, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी8 तथा अंग्रेजी संस्कतरण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7619/17/22]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह सदन है, प्लीज़ बैठिए।

… (व्यवधान)

*m05 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर): महोदय, मैं निम्नललिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) दिल्लीा विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 385 (अ) जो 23 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वर्ष 2021-2022 के लिए, उसमें उल्लिखित विभिन्नष उपयोगों/स्थानों के लिए देय प्रीमियम की पूर्व-निर्धारित दरों को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दिी तथा अंग्रेजी संस्कररण)।

[Placed in Library, See No. LT 7620/17/22]

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नदलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दिी तथा अंग्रेजी संस्कईरण):-

(एक) मध्यए प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्यद प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पशणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7621/17/22]

*m06 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा): महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नशलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दीस तथा अंग्रेजी संस्कeरण) पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) इंडियन रिन्यूरएबल एनर्जी डवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्लीन के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) इंडियन रिन्यूरएबल एनर्जी डवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्लीन का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पमणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7622/17/22]

12.03 hrs